खंड –II

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)
मध्यप्रदेश शासन

अ. महत्वपूर्ण तिथियां /सामान्य जानकारी

क्र.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	वनमंडल अंतर्गत वन्य एवं वन्यप्राणी तथा अन्य वन संपदा की प्रभावी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये मासिक किराये पर वाहन अनुबंधित करने हेतु ई–निविदा आमंत्रित
2	ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/...3548./ई-टेंडरिंग/2026-27/ दिनांक .08../.05./2026
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	500/– प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	राशि रूपये 20000/–
5	निविदा प्रस्ताव की वैद्यता	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल वनमंडल द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	राशि रूपये 20000/–
7	अनुमानित निविदा मूल्य	राशि रूपये 40,00000/–

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा0)वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक या आगामी निविदा तक बढ़ाई जा सकती है।
2. वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल(सा0)वनमण्डल (निविदाकर्ता)किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर०एफ०पी०)निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता,निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप,निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
3. वाहनों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई अथवा बढाई जा सकती है।
4. प्रति निविदाकार एक निविदाः

   4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।

   4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएँगी।
5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुडे सभी खर्चे वहन करना होगा,और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।
6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि यह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा ।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा0) वनमंडल

(ब) निविदा दस्तावेज

1. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-

i) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र

ii) पैन कार्ड

iii) आधारकार्ड

iv) 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक -1

v) पूरा अनुलग्नक -2

vi) पूरा अनुलग्नक -3

vii) दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण

viii) वाहन का रजिस्ट्रेशन,कम्प्रेहेन्सीव बीमा,रोड टैक्स चुकता प्रमाण पत्र

xi) वाहन चालक का आधार,वोटर आई.डी.

2. निविदाकार से निविदा दस्तावेज़ के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

3. निविदा पूर्व बैठक (जहां लागू हो)

जहां भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है:

3.1 ई-निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।

3.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जवाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।

3.3 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए किसी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

4. सत्यांकार निधि (ईएमडी)

4.1 सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित - 2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

4.2 सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

4.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

4.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

4.5 सत्यांकार निधि जब्त की जा सकती है:

4.6 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा बापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है:

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो;

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत /हेरफेर /छिपी हुई पाई जाती है।

4.7 सत्यांकार निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

5. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी।

6. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

7. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएंगी।

8. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

9. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।

10.निविदा मूल्य में लोडिंग,परिवहन,अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो)में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि वनमण्डल की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।

11. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे दक्षिण बैतूल (सा0)वनमण्डल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3)निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

12. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन:-

13. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।

[गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियों या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।]

15. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएँ खोलेगा।

16. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।

17. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।

18. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

19. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा: यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।

20. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

(द) अनुबंध का पुरस्कारः

21. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि वाहन बोलेरो/स्कार्पियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें हैं।

22. नियोक्ता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

23. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग ।। "महत्वपूर्ण तिथियों/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में 'वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा0) वनमण्डल जिला बैतूल के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की संपूर्ण अवधि से 3 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाँकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है। निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारादायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालांकि विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित-2022) के अनुरुप की जाएगी।

24. स्वीकृत निविदाकार प्रदाय आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय स्थल पर प्रदाय करना सुनिश्चित करेंगे ।

25. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-

I. निविदाकार वाहन बोलेरो/स्कार्पियों देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसे वाहन बोलेरो/स्कार्पियों प्रदाय की है जो समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।

III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार,निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर- उत्तरदायी है।

IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

26. यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो जमा की गई सत्यांकार राशि एवं निष्पादन सुरक्षा राशि जप्त करने के साथ 5 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

27. स्वीकृत निविदाकार द्वारा सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नही की जाती है, तो निविदाकर्ता को अन्य निविदाकारों से L-2, L-3 आदि के क्रम में निविदा दर पर सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी ।

अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

28.सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

29.अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

30 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभावडाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।

31. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है औरनिविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।

32. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर सभी कानूनी विवाद केवल मध्य प्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

ई.अन्य नियम और शर्तें

अनुबंध प्रपत्र

दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल के अंतर्गत शासकीय कार्यो के उपयोग हेतु (चार पहिया वाहन–डीजल) बोलेरो / स्कर्पियों किराये पर रखे जाने हेतु निविदा की शर्ते

दक्षिण (सा.) वनमंडल बैतूल के अंतर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों में वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 (31 मार्च 2027 तक) हेतु बोलेरो / स्कार्पियों वाहन मॉडल वर्ष 2023 के पूर्व का नहीं होना चाहिए को मय ड्रायवर सहित किराये पर चलाने हेतु निम्नानुसार अंकित समस्त शर्ते निम्नानुसार है :–

1. वाहन पर चालक, वाहन मालिक का रहेगा। वाहन चालक के पास नियमानुसार टेक्सी चालक हेतु वैद्य ड्राइविंग लाइसेन्स होना आवश्यक है। वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं यात्रा भत्ता भी शामिल है। वाहन मालिक स्वयं वहन करेगा।
2. वाहन की सभी प्रकार की मरम्मत व्यय, ट्यूब, टायर, बैट्री एवं अन्य व्यय की जिम्मेदारी वाहन मालिक की रहेगी।
3. वाहन पंजीयन एवं बीमा निविदा अवधि में जीवित रखने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी, यदि किन्ही परिस्थितियों में उक्त पंजीयन एवं बीमा जीवित न रहने पर उसकी शास्ती अधिरोपित होने पर समस्त जवाबदारी निविदाकार / वाहन मालिक की होगी।
4. वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने पर समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन किराये पर देने के पूर्व वाहन समक्ष में वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा.) को दिखाना होगा।
6. वाहन को बंद करने एवं अन्य सभी अधिकार वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा.) को रहेंगे, उनका निर्णय अंतिम रहेगा एवं वाहन मालिक को मान्य होगा।
7. वाहन की प्रति लीटर डीजल / पेट्रोल की औसत खपत 10 कि.मी. से कम नहीं होगी। इससे कम औसत होने पर वाहन प्रदाता की क्षतिपूर्ति की जवाबदारी रहेगी। प्रति लीटर / पेट्रोल की औसत खपत 10 कि.मी. से अधिक होने पर विभाग के पक्ष में होगी।
8. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान पर भी ले जाया जा सकेगा। वाहन के चालक का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेशों का पालन करें।
9. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है वाहन में स्टेपनी, बैट्री, चारों पहियों के टायर ट्यूब व मायलोमीटर उत्तम एवं चालू हालत में होने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
10. वाहन चालक को वाहन के पंजीयन, बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्राईविंग लाईसेन्स आदि कागजात हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होंगे। वाहन टेक्सपेड होना चाहिए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी उसके लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्चे का वहन करेगा।
11. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरूप, यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
12. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में सामान्यतः 02 घंटे में सुधार कराकर पुनः उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 02 घंटे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. वाहन प्रदायकर्ता अपने स्वयं के उपयोग के लिए यदि वाहन चाहता है तो उसके उस अवधि के लिए अन्य अच्छी हालत के वाहन की व्यवस्था करते हुए उपयोगकर्ता अधिकारी को 15 दिन पूर्व लिखित में सूचित करना होगा। अन्य वाहन की व्यवस्था न करने पर यदि कार्यालय द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर वाहन लिया जाता है तो उस स्थिति में अंतर की राशि वाहन प्रदायकर्ता को देय राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।

14. वाहन प्रदायकर्ता को उपयोगकर्ता अधिकारी की मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार लगातार तीन दिवस तक वाहन प्रदाय नहीं किये जाने एवं शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जप्त की जा सकेगी। यदि वाहन प्रदायकर्ता अनुबंध अवधि के दौरान कारणवश वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाता है तो उसे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी।

15. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर –रिडिंग के अनुसार की गई यात्रा को प्रमाणीकरण लॉग–बुक में बनाना होगा। प्रमाणित लॉग–बुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. माईलोमीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाए जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा।

17. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर उपयोग करने में न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नहीं रहेगा। वाहन चालन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम दूरी विभागीय उपयोग के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मासिक/दैनिक किराये की दर के अलावा पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

18. वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टेक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

19. निविदाकार को सूचित हो कि किसी ऐसी दशा में जब निविदा से संबंधित किसी नियम या स्थिति के संबंध में कोई अस्पष्टता या भ्रम हो तो ऐसी स्थिति में, चाहे निविदा में उस संबंध में कोई संदर्भ मौजूद हो या न हो, उसकी स्वाभाविक व्याख्या इस प्रकार होगी कि उसका लाभ विभाग को मिले।

20. शासन निर्देश अनुरूप अन्य कोई टेक्स नियमानुसार लिया जाना है तो संबंधित निविदाकार से लिया जावेगा।

21. वाहन किराये का भुगतान आगामी माह की तिथि 10 से 20 के बीच किया जावेगा अथवा वाहन किराये के भुगतान से संबंधित सभी अधिकार वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा.) को रहेंगे। उनका निर्णय अंतिम रहेगा एवं वाहन मालिक को मान्य रहेगा।

22. निविदाकार द्वारा किराये पर प्रदाय किये जाने वाले वाहन यदि उनके स्वामित्व का नहीं है तो वाहन मालिक के द्वारा वाहन किराये पर देने का सहमति पत्र राशि रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

23. मासिक किराये का वाहन 24 घंटे विभाग की सेवा में रहेगा। वाहन की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन मालिक का होगा। वाहन मालिक/ड्रायवर को वाहन विभाग के संबंधित अधिकारी के निवास पर ही रखना होगा। इस हेतु प्रतिदिन वाहन चालक द्वारा वाहन की चाबी संबंधित प्रभारी अधिकारी को वाहन छोड़ने के पूर्व सौंपनी होगी। वाहन चालक की अनुपस्थिति में वाहन विभाग के अधिकारी/वाहन चालक द्वारा आवश्यकतानुसार चलाया जा सकेगा।

24. किराये पर लिये गये वाहन का उपयोग सामान्यतः जिले में दक्षिण (सा.) वनमडल बैतूल के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में वनमंडलाधिकारी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि प्रदेश के अंदर/बाहर भी उक्त वाहन का उपयोग कर सकते है।

25. टोल टैक्स आदि जहां कही भी लगता है उसका भुगतान वनमंडलाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा किया जावेगा।

26. वाहन चालक किसी भी प्रकार को कोई नशा नहीं करेगा। वाहन चालक वाहन चलाने का कार्य आवश्यकतानुसार क्षेत्रों में पड़ने वाले कच्चे एवं पक्के मार्गो पर करेगा।

27. किराये की अवधि में वाहन में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन नहीं किया जावेगा। वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री पाई जाने पर वाहन चालक एवं वाहन मालिक का उत्तरदायित्व होगा।

28. वाहन किराये के देयक के भुगतान में से स्वीकृत निविदा न्यूनतम दर से नियमानुसार आयकर (टी.डी.एस.) एवं अन्य करों की कटौती कर भुगतान किया जावेगा।

29. वाहन मालिक यदि अपना वाहन विभाग की सेवा से मुक्त कराना चाहता है तो उक्त की लिखित सूचना एक माह पूर्व देना होगी। तदानुसार संभव होने पर ही वनमंडलाधिकारी द्वारा वाहन कार्य मुक्त किया जावेगा।

30. इस कार्यालय द्वारा विक्रय किया गया निर्धारित निविदा फार्म ही मान्य होगा।

31. वाहन का ए.सी. चालू हालत में होना चाहिए।

32. वाहन में Front & Rear केमरे लगे होने चाहिए।

33. वाहन में यदि जीपीएस उपकरण लगा हो तो उसे वाहन मालिक द्वारा हटाना होगा। वाहन में विभाग द्वारा इंस्टाल जीपीएस उपकरण का उपयोग किया जावेगा।

34. वाहन चालक को वाहन मरम्मत का बेसिक ज्ञान होना चाहिए।

35. वाहन मालिक द्वारा वाहन चालक को खाकी वर्दी/जूते प्रदाय करना है। वाहन चालक को डयूटी के दौरान हमेशा वर्दी में रहना है। वर्दी का गलत तरीके से उपयोग करने पर वाहन चालक/वाहन मालिक के पर कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर वाहन को कभी भी हटाया जा सकता है। मुझे निविदा फार्म में दर्शाये अनुसार मासिक/दैनिक किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में उक्त क्रमांक–01 से 35 तक की सभी शर्ते मंजूर है।

''मुझे उपरोक्त समस्त शर्ते मान्य है''

हस्ताक्षर वाहन मालिक

स्थान–...............

दिनांक–..............

वाहन मालिक का नाम–..

पिता का नाम–..

वाहन मालिक का पता–...

....

वाहन मालिक का मोबाइल नंबर–..

वाहन चालक का मोबाइल नंबर–..

अनुलग्नक - 1

प्रारूपः स्वघोषणा - काली सूची में दर्ज नही होने संबंधित प्रमाण पत्र

Rs. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक: / /

सेवा में,

वनमण्डल अधिकारी

--------------------------------जिला ----------------------------म०प्र०

महोदय/महोदया,

दिनांक ....के निविदा संदर्भ संख्या...................................के प्रत्युत्तर में, ...के स्वामी/भागीदार/ निदेशक के रूप में, मैं/हम घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म..........................का रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्य/केंद्र सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्कम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म.......................................

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नामः

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताः -

संगठन की मुहरः -

दिनांकः

स्थान

अनुलग्नक - 2

प्रारूपः निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का विवरण स्वघोषणा

1. निविदाकार /फर्म का नाम : --

2. पिता का नाम : --

3. स्थायी पता मकान क्रमांक : ---

गली क्रमांक : --

स्थान : --

जिला : -----------------------------------पिन कोड ----------------

4. कार्यालय का पता : --

गली क्रमांक: --

स्थान : --

जिला : -----------------------------------पिन कोड ----------------

5. सत्यांकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार - एफ.डी.आर / बैंक गारंटी / ----------------------

संख्या दिनांक --

राशि --

बैंक का नाम --

6. जी.एस.टी. नम्बर --

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, ---

पिता/पति ---

घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3

प्रारूपः वाहन बोलेरो/स्कार्पियों प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम .... जानता हूँ / जानते हैं कि वाहन प्रदाय का दायरा .... वनमण्डल का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम. .... वनमण्डल के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर वाहन प्रदाय करने के लिए सहमत हैं। .

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हम ने काम/वाहन प्रदाय क्षेत्र/स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सभी कार्य स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्रक 5

स्वीकृति पत्र क्रमांक

क्र. ------------------------------------   दिनांक

प्रति,

मेसर्स...

(निविदाकार का नाम और पता)

विषयः

-XOX-

प्रिय श्री, ...

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली स्वीकार कर ली गई है। वाहन बोलेरो/स्कार्पियों प्रदाय करने हेतु आपके द्वारा निम्नानुसार दर उपलब्ध करायी गई है ।

बोलेरो..

स्कार्पियों ....

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निविदा शर्त अनुसार वाहन प्रदाय करना सुनिश्चित करें। अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

अनुलग्नक 6

संयुक्त उद्यम्(ज्वांइट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम् की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:

क.भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा;

ख. निविदा और,सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो;

ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा;

घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग- अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर [सी] के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में [सफल निविदा के मामले में];

ङ. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए;

च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो; और

छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/ संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।

4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता (यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें

5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।

6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें;

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी

प्रपत्र (प्रारूप)

दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल अन्तर्गत स्थित वन परिक्षेत्रो / उपवनमण्डल/वन चौकी में प्रभावी वन सुरक्षा की दृष्टि से संतत् व नियमित गश्ती एवं वरिष्ठ अधिकारियों के वन भ्रमण हेतु किराये पर अनुबंधित किये जाने वाले वाहनो हेतु निविदा प्रपत्र

1. वाहन मालिक / ट्रैव्हल एजेंसी का नाम एवं पत्ता ....
.... (यदि साझा फर्म है तो पार्टनर शिप डील मंलग्र करें।

2. दूरभाष क्रमांक..
कार्यालय..
निवास. मो०नं०..

3. फर्म का सर्विस टैक्स हेतु केन्द्रीय आबकारी विभाग को पन्द्रह डिजिट का पंजीकरण क्रमांक..............................
....(प्रतिलिपि लगाये)

4. फर्म का आय कर हेतु पैन नम्बर.. (प्रतिलिपि लगाये)

5. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक..
(रजिस्ट्रेशन, कम्प्रेहेन्सीव बीमा, रोड टैक्स चुकता प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रति लगायें)

6. वाहन का मेक..

7. वाहन का मॉडल /वर्ष .... डीजल औसत / प्रति कि.मी.................................

8. मासिक न्यूनतम किराये की दर........................... खपत दर ....
(पी.ओ.एल. सहित समस्त टैक्स तथा वाहन चालक सहित)

9. निविदा के साथ सत्यकार राशि के रूप में जमा की गई राशि का विवरण बैंक एफ०डी०आर० क्रमांक बैंक का नाम
दिनांक .... राशि..

10. निविदाकार का घोषणा-पत्र (घोषणा-पत्र पूर्ण रूप से भर कर संलग्न किया जावें)

11. भुगतान संवधी जानकारी- बैंक का नाम ....
खाताक्रमांक..
आई. एफ.एस.सीकोड..

12. सम्पर्क सूत्र दूरभाय क्रमांक...................................... मो०नं०...

कार्य का विवरण

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल	दर प्रतिमाह ड्रायवर सहित	मात्रा	रिमार्क
01	स्कार्पियो ए०सी०				वाहन माह में औसतन 2500 कि.मी. से 3000 कि.मी. या इससे ज्यादा चलाया जा सकता है। वाहन में भराये गये डीजल का भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर फयुल पंप अथवा वाहन मालिक को किया जावेगा।
02	बोलेरो ए०सी०				

नोटः- उपरोक्तानुसार वाहनो की दरें एम०पी०टेण्डर की साईट मे ई-टेण्डर के माध्यम से निर्धारित BOQ फाईल में भरी जावेगी।

वाहन मालिक/निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम / पता एवं मो०नं०

Signature Not Verified
Digitally signed by ARIHANT KOCHAR
Date: 2026.05.08 18:35:14 IST
Location: Madhya Pradesh-MP